RAJASTHAN PATRIKA, Delhi, 18.1.2018
Page No. 2, Size:(16.80)cms X (29.01)cms.

भारत में डेटा की सुरक्षा व्यापक समस्या...

डेटा का दुरुपयोग सिर्फ आधार में नहीं हो रहा

जैसे-जैसे अधिकांश सेवाओं के लिए आधार को जरूरी बनाया जा रहा है, इसकी सुरक्षा और लोगों की निजता को ले कर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही सवालों पर यूआईडीएआई के सीईओ एबी पांडेय से पत्रिका की बातचीत...

Q आधार पूरी तरह सुरक्षित तो वर्चुअल आधार व फेस रिकॉग्निशन की जरूरत क्यों?

जवाब - हमारा शुरू से ही कहना है कि आधार कार्ड पूरी तरह सुरक्षित है। ये लोगों की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए हैं। जहां भी आपको अपनी आइडेंटिटी साबित करनी है आधार कार्ड बिना संकोच के दें। यह सीक्रेट चीज नहीं। लेकिन कुछ लोगों के मन में आशंका रहती हैं इसलिए वर्चुल आइडी की तैयारी है। वैसे तो आधार कार्ड में लोगों की बहुत सीमित सूचनाएं हैं। वर्चुअल आईडी में वे भी नहीं जाएंगी।

Q 31 मार्च तक आधार लिंक होना है। तो ये पहले नहीं शुरू होनी चाहिए?

जवाब- देखिए, 31 मार्च की जो डेडलाइन दी है उस डेडलाइन में हमने यह कहा है कि सभी लोग जिनके पास आधार है वे इसे लिंक करवा लें। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो जब तक आधार नंबर नहीं मिलता है, उसके लिए 31 मार्च की कोई डेडलाइन नहीं है।

Q सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं कि 31 मार्च तक लिंक न किया तो सेवा बंद हो जाएगी?

जवाब- ऐसी बातें ठीक नहीं है। सभी को एक समय सीमा तो निर्धारित करनी थी। उसके बाद क्या होना है ये सरकार तय करेगी। जैसे पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून थी। जो नहीं करा पाए उस पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन यह समझना कि इस तरह का प्रावधान ऑटोमैटिक है, ठीक नहीं है।

Q लोगों के सवाल है कि वे आधार लिंक न करा पाए तो क्या होगा?

जवाब- जहां तक कानून का सवाल है आधार के कानून में यह कहा गया है कि अगर आपको कोई सुविधा चाहिए तो आप अपने आधार का इनरोलमेंट करवा लें। अगर आपने इनरोलमेंट करवा लिया और आपको किसी कारणवश नंबर नहीं मिल पाया तो आपकी सुविधा चालू रहेगी। इस कानून का पालन हर जगह करना भी चाहिए।

यह सिर्फ आधार का ही मामला नहीं है। खतरा तो कंप्यूटर सिस्टम में भी है चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करें। भारत में डेटा प्रोटेक्शन की व्यापक समस्या है।

Q जब तक फेस रिकॉग्निशन या वर्चुअल आधार का काम पूरा न हो डेडलाइन आगे नहीं बढना चाहिए?

जवाब- इसके बारे में मंत्रालय जरूर निर्णय लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि समय सीमा होने के बावजूद, कानून यह कहता है कि जब तक आपके पास आधार नहीं है तो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए एक 'एक्सेप्शन रजिस्टर' है। उसको यूज करें।

Q झारखंड में कोइली देवी के पास आधार नहीं था और उनकी बेटी दम तोड़ गई। क्या आपको यह घटना नहीं कचोटती?

जवाब- हम यह स्वीकारते हैं कि जितनी भी एजेंसियां जो आधार का उपयोग करती हैं, उन्हें आधार का कानून और उनके अपने कानून का पालन करना चाहिए। अगर कानून यह कहता है कि आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी ऐसा होता है तो यह बिल्कुल गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने एक सर्कुलर भी जारी किया है कि अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उसके लिए एक अलग रजिस्टर में उनका नाम लिख लीजिए और राशन दीजिए।

Q खबर सामने आई कि 500 रुपए दे कर आधार के सारे डिटेल मिल रहे हैं..

जवाब- आधार एक इतना बड़ा सिस्टम है जो 120 करोड़ लोगों को सर्व कर रहा है। हमें बहुत जगहों पर ऐसी सुविधा देनी पड़ती है कि कुछ लोग एक लिमिटेड इंफार्मेशन देख सकें। किसी व्यक्ति का आधार नंबर उपलब्ध है तो वह उसकी डिटेल देख सकेगा। यह कहना कि 120 करोड़ लोगों का डेटा मिल गया गलत है। वैसे भी आधार कार्ड सीक्रेट है भी नहीं। आधार में व्यक्ति का नाम, पता, फोटो वगैरह ही है।

Q ...पर सिक्योरिटी में सेंध तो है न?

जवाब- अब कोई भी सिस्टम देख लीजिए। आप दुनिया का बड़े से बड़ा सिस्टम देख लें। आप रोज कंप्यूटर यूज करते हैं। चाहे विंडोज हो या आईओएस, उनमें रोज इतने सारे पैचेज आते हैं।

Q आरबीआई का कहना है कि आधार डेटा हैक हो जाए तो नुकसान की कल्पना भी नहीं कर सकते।

जवाब- खतरा कितना बड़ा है, इसका स्कोरिंग सिस्टम होता है। जो खतरे की बात की जा रही है, वह आधार के सिस्टम में नहीं है। आउटसाइड सिस्टम में है। साथ ही यह इस संस्थान से जुड़े व्यक्ति की निजी राय है। फिर यह देखना होगा कि खतरा कितना बड़ा है। मैं तो इसे खतरा कहूंगा ही नहीं। आईटी सिस्टम में ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक तरीका होता है।

Q एक मोबाइल कंपनी जो बैंकिंग में भी है बिना इजाजत आधार से खाते खोल दिए और उसमें सरकारी सब्सिडी भी आने लगी। यह तो बड़ी सेंध है..

जवाब- यह आधार के सिस्टम में सेंध नहीं है। ओवरऑल डेटा प्रोटेक्शन का सवाल है। आपने कहीं क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन किया और अचानक से फोन आने लगते हैं कि ये चीज खरीद लीजिए। उनको कहीं से तो ये इन्फोर्मेशन मिलती है। यह आधार का ही नहीं है ये ओवरऑल डेटा सुरक्षा का मामला है।

Q पाक जासूस का भी आधार बन गया, लेकिन इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया जा रहा है?

जवाब- हमें लगता है कि देश की सुरक्षा और आधार को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। जो भी भारत का निवासी है, भले ही वह नागरिक नहीं हो, उनको आधार मिल सकता है। गलत जानकारी देने पर कार्ड रद्द कर दिया जाता है। लेकिन बायोमेट्रिक तो मिल जाते हैं।